

उद्यान निदेशालय

कृषि विभाग

(बिहार बागवानी विकास सोसाईटी)

आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद – कुफरी चिप्सोना–1 का क्षेत्र विस्तार योजना
का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं पिता / पति

ग्राम पोस्ट पंचायत

प्रखंड जिला का निवासी हूँ। मैंने आलू की खेती
हेतु कृषक श्री पिता / पति ग्राम

पोस्ट पंचायत प्रखंड

जिला से खाता संख्या खेसरा संख्या रकवा

जमीन बटाई / पट्टा पर प्राप्त किया है।

2. बटाई / पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद – कुफरी चिप्सोना–1 की खेती की जायेगी।
3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबाबदेही मेरी होगी,
तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर

(मोबाइल नं० सहित)

1 गवाह का नाम एवं पता हस्ताक्षर

.....

.....

2 गवाह का नाम एवं पता हस्ताक्षर

.....

.....

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक / प्रखंड उद्यान पदाधिकारी / प्रखंड कृषि पदाधिकारी)